


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ शुद्धि-पत्र ॥

पटना-15, दिनांक- 3.10.19
संख्या-12/प0 (मू0को0)-407/14-सा0प्र0-13702/ विभागीय अधिसूचना सं0-13614 दिनांक
01.10.2019 की कड़िका-1 के कमाक-2 पर अंकित श्री उपेन्द्र पाल, 1405/11, सिवान की जगह
शुद्ध रूप में श्री उपेन्द्र कुमार पाल, 1405/11, सिवान पढ़ा जाय ।
इस हद तक अधिसूचना सं0-13614 दिनांक 01.10.2019 को संशोधित समझा जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से:


(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0 (मू0को0)-407/14-सा0प्र0-13702/पटना-15, दिनांक- 3.10.19
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र
में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं
ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार,
पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि
सुधार विभाग, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय
आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/गोपालगंज/दशाली/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कोषांगार पदाधिकारी, संबंधित
कोषांगार/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव